

रुद्राक्ष योजना में आवासीय सम्पत्ति आवंटन आवेदन कैसे करें

- 1- प्राधिकरण कार्यालय में अथवा यूनियन बैंकऑफ़ इण्डिया, शाखा आवास विकास कालोनी, दिल्ली रोड, सहारनपुर से योजना की बुकलेट/विवरण पुस्तिका रू0 590/- (जी0एस0टी0 सहित) का भुगतान कर प्राप्त करें।
- 2- बुकलेट/विवरण पुस्तिका में दिए गए नियम व शर्तों को ध्यान से पढ़ें।
- 3- बुकलेट/विवरण पुस्तिका में लगे फार्म को भरें
- 4- भरे फार्म के साथ पंजीकरण धनराशि का डी0डी0 विकास प्राधिकरण कार्यालय के सम्पत्ति अनुभाग में योजना के पंजीकरण की अन्तिम तिथि व समय से पूर्व जमा करें तथा प्राप्ति रसीद प्राप्त करें
- 5- सम्पत्ति का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा, जिसकी तिथि व समय बाद में वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।

सम्पर्क करें:- 9897056970, 8941001418